न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 15/24 दायरा दिनांक 19.09.2024

1. जगदीश पुत्र मन्नू उम्र 55 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2. श्रीकिशन पुत्र मन्नू उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
3. भोगीलाल पुत्र मन्नू उम्र 49 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4. घनश्याम पुत्र मन्नू उम्र 47 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
5. लक्खी पुत्र मन्नू उम्र 45 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
6. बबलू पुत्र मन्नू उम्र 42 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
7. गब्बो पत्नि मन्नू उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत समरानिया हाल ग्राम पंचायत निवाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. जरिये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

रेस्पो.

अपील विरूद्ध फौती नामान्तरकरण नम्बर 275 दिनांक 15.06.1985 ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत समरानिया हाल ग्राम पंचायत निवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय–दिनांक 02.04.2025

उपस्थित – अपीलाण्ट की ओर से – श्री धीरेन्द्र कुमार माली एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बांसखेडामाल पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 69 में आराजी ख0नं0 142/3 रकबा 21.12 बीघा, ख0नं0 329/2 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 483/2 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 485 रकबा 0.07 बीघा किता 5 कुल रकबा 22.16 बीघा स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्ट के पिता मन्नू पुत्र लक्ष्मणलाल के खाते की रही है। अपीलान्ट मन्नू पुत्र लक्ष्मणलाल के वारिस हैं, जिनके नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण के जरिये विरासत दर्ज की गई है, जो सही है। वक्त तरमीम प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट कम 6 का नाम बबलू के स्थान पर सुवालाल दर्ज कर दिया है, जबकि सही नाम बबलू है, जो ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

रीठीपुरा के अन्य खाता संख्या 55 में दर्ज है तथा आधारकार्ड जनआधार राशनकार्ड में भी दर्ज है। दिनांक 10.09.2024 को के.सी.सी. बनवाने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ, पूर्व की डिले कंडोन हेतु दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण नम्बर 275 दिनांक 15.06.1985 ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट कम 6 का नाम बबलू दर्ज करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज कराने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 275 ग्राम बांसखेडामाल में अपीलाण्टस कम 6 का नाम बबलू के स्थान पर सुवालाल गलत दर्ज कर दिया है, शेष नामान्तरकरण सही है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में मननूलाल पुत्र लक्ष्मणलाल की विरासत अपीलान्टस के नाम दर्ज है, जिसमें सुखलाल नाम दर्ज है, जिसे वर्तमान जमाबंदी में सुवालाल दर्ज कर दिया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में कहीं भी बबलू नाम दर्ज नहीं है, जबकि संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी ग्राम रीठीपुरा में मन्नू के वारिसान में बबलू नाम दर्ज है और सुखलाल अथवा सुवालाल कहीं दर्ज नहीं है, इससे अपीलान्ट के कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रश्नगत नामान्तरकरण को खारिज करने के लिये ठोस आधार मौजूद हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 275 ग्राम बांसखेडामाल दिनांक 15.06.1985 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार मन्नूलाल पुत्र लक्ष्मणलाल किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। नामान्तरकरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

02/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:11 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner